कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक / 2852 / री.ए.डी.ए / 2020 इन्दौर, दिनांक 31.07.2020

// आदेश //

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

(इन्दौर शहर की चोईथराम फल–सब्जी–आलू–प्याज मंडी एवं निरंजनपुर सब्जी मंडी संचालित करने संबंधी आदेश)

(दिनांक 1–8–2020 से प्रभावशील)

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / 567–568 / री0ए0डी0एम0 / 2020 दिनांक 29–3–2020 द्वारा इन्दौर में कर्फ्यु / लॉक डाउन प्रभावशील किया गया था। समय–समय पर क्राईसेस मैनेजमेंट ग्रूप में लिए गए निर्णयों के तारतम्य में शहर में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की अनुमतियॉ दी जाती रही है। दिनांक 30.07.2020 क्राईसेस मैनेजमेंट ग्रुप में उप–समिति की रेसीडेंसी कोठी इन्दौर में हुई बैठक के तारतम्य में लिए गए निर्णय के क्रम में **मैं मनीष सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर** निम्नानुसार आदेशित करता हूँ :–

(अ)– चोईथराम फल–सब्जी–आलू–प्याज मंडी एवं निरंजनपुर मंडी

यह कि इन्दौर शहर की चोईथराम फल–सब्जी–आलु–प्याज मंडी को संचालित किए जाने हेतु क्राईसेस मैनेजमेंट समिती की उप–समिति द्वारा व्यापारियों से चर्चा उपरांत एक एसओपी (SOP) तैयार की गई है। यह एसओपी (SOP) श्री बी बी एस तोमर, अपर कलेक्टर / भारसाधक अधिकारी, कृषि उपज मंडी समिति इन्दौर, श्री चन्द्रशेखर वशिष्ट संयुक्त संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इन्दौर एवं श्री एम एस मुनिया, सचिव / उपसंचालक, मंडी इन्दौर की समिति द्वारा क्राईसेस मैनेजमेंट ग्रुप उप–समिति के मार्गदर्शन में तैयार की गई है। यह एसओपी इस आदेश का भाग होकर संलग्न है,

जिसके अनुसार चोईथराम फल–सब्जी–आलू–प्याज मंडी का संचालन दिनांक 1–8–2020 से सुनिश्चित किया जावे।

निरंजनपुर सब्जी मंडी

यह कि इन्दौर शहर की निरंजनपुर सब्जी मंडी का संचालन इस आदेश के पालन में दिनांक 1–8–2020 से किया जा सकेगा।

सामान्य निर्देश–

1– यह कि उक्त दोनों मंडियों मास्क, सेनेटाईजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

2– यह कि उक्त दोनों मंडियों का संचालन रविवार को नहीं किया जा सकेगा।

3– यह कि चोईथराम फल–सब्जी–आलू–प्याज मंडी में किसानों का रात्री में 11.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक आगमन सुनिश्चित किया गया है अतः इस आदेश के माध्यम से इस मंडी में आने वाले किसानों को रात्रीकालीन कफ्र्यु से छूट प्रदान की जाती है।

4– यह कि इस आदेश के अपालन की स्थिति में चोईथराम फल–सब्जी–आलू–प्याज मंडी में सचिव/मंडी प्रशासन को स्पॉट फाईन के लिए तथा निरंजनपुर सब्जी मंडी में नगर निगम, इन्दौर के प्राधिकृत अधिकारियों को स्पॉट फाईन के लिए अधिकृत किया जाता है।

(ब)– केन्द्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा दिनांक 29.07.2020 को जारी अनलॉक – 3 की गाईड लाईन के तारतम्य में योगा संस्थान एवं जिम दिनांक 05.08.2020 से प्रारंभ किए जा सकेंगे। इस बाबद केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एसओपी (SOP) जारी की जा रही है तथा उक्त संस्थाओं द्वारा इस एसओपी (SOP) की शर्तो का पालन करना अनिवार्य रहेगा।

(स)– इन्दौर नगर निगम क्षेत्र में लाईब्रेरी, ब्यूटी पार्लर आदि को भी संचालित किए जाने की उक्त समिति में लिए गए निर्णय के तारतम्य में अनुमति प्रदान की जाती है। इन संस्थानों में भी इनके एसोसिएशन द्वारा तैयार एवं प्रशासन को प्रस्तुत एस.ओ.पी. का पालन करना अनिवार्य रहेगा।

(द)– राज्य शासन किल कोरोना अभियान दिनांक 01 अगस्त 2020 से 14 अगस्त 2020 तक चलाया जाना है, जिसमें कोरोना बचाव अभियान के तहत जनजागरूकता, मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिग नगरीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों द्वारा जनप्रतिनिधियों के सहयोग से चलाया जाना है। इस अवधि में किसी भी प्रकार की सभा, रैली, धरना प्रदर्शन तथा ऐसा कोई भी आयोजन जिसमें भीड़ एकत्रित होने की संभावना है, प्रतिबंधित रहेगी ।

अतः इस तारतम्य में नगर निगम इन्दौर, जिले की अन्य नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को आदेशित किया जाता है, कि राज्य शासन के उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करावें एवं स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जावें।

उक्त समस्त अधिकारी रूपये 100 प्रति व्यक्ति का अधिकतम स्पॉट फाईन, मास्क ना पहनने तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन न करने पर कर सकेंगे। पंचायत विभाग में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा नामांकित समस्त ऐसे अधिकारी स्पॉट फाईन की कार्यवाही कर सकेंगे। नगर निगम एवं जिले की अन्य नगरीय निकायों में यह कार्य पूर्ण रूप से प्रचलित है तथा उक्त अवधी में मुहिम के तौर पर गति लाई जावें।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 29.07.2020 को अनलॉक –3 की गाईड लाईन के तहत स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक

संस्थाए, कोचिंग संस्थाए दिनांक 31.08.2020 तक बंद रहेगी। ऑनलाईन/Distance Learning को संचालित करने की अनुमति रहेगी। किन्तु राज्य शासन द्वारा जारी किए निर्देशों का पालन किया जाना होगा।

उक्त गाईड लाइन के तहत अग्रिम आदेश तक सभी सभाए, धरना प्रदर्शन, सामाजिक/राजनैतिक/खैल/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक आयोजनों आदि पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक हो, किसी भी उम्र के व्यक्ति रोगग्रस्त हो, गर्भवती महिलाए एवं 10 वर्ष से कम की आयु के बच्चों को वर्तमान कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए घरों में रहने की सलाह दी जाती है।

चूंकि यह आदेश जन साधारण की सूविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है । इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय–समय पर दी गई छूट/प्रतिबंध पूर्ववत् लागू रहेगी।

यह आदेश दिनांक 31/7/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर
District Magistrate
District Indore (M. P.)

पृ०क्र०/2853/री०ए०डी०एम०/2020
इन्दौर, दिनांक 31.07.2020

प्रतिलिपि :–

1– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2– आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर

3— पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
4— उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
5— पुलिस अधीक्षक पूर्व / पश्चिम / मुख्यालय इन्दौर
6— आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
7— समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी / अपर कलेक्टर, इन्दौर
8— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला इन्दौर.
9— समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर (नियमित एवं संलग्न)
10— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर ।
11— एस0डी0ओ0(पी) नगर पुलिस अधीक्षक(समस्त), ..., इन्दौर
12— उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय / जिला विशेष शाखा, इन्दौर
13— थाना प्रभारी, थाना..जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
14— उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
15— प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16— प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

District Magistrate
District Indore (M. P.)